

(2)

रिसाव (विद्युत् रोधी प्रतिरोधी कम से कम एक मैगाओम होगा अथवा उतना जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जाय)

ठेकेदार द्वारा विद्युत् रोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम -

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

∞

∞

∞

(1) फेज एवं अर्थ के बीच-

(2) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच-

फेज-1 व 2

फेज-2 व 3

फेज-3 व 4

∞

∞

∞

(3) तारों के मध्य-

नियम - 29 :-

- (1) बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के अनुसार है। ५
- (2) बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित है। ५
- (3) बतायें कि समस्त विद्युत् नयन (जीवान्त) चालकों पर लगाये गये हैं। ५

नियम - 32 :-

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया गया है। जिससे कि ऐसे चालक को विद्युत् मय (जीवान्त) चालक सुभिन्न किया जा सके।

M/s VEE KAY & Co,

Neaa Distt. Hospital

मैं/हमारे/हमारे निम्नकित प्राप्त विद्युत् ठेकेदार, लाइसेंस संख्या.....

(सत्यापन का प्रमाण पत्र)

RBL32

निम्न का सत्यापन

करते हुए घोषणा करते हैं -

- (अ) कि पूर्वोक्त विद्युत् संस्थापनों का कार्य मेरे द्वारा किया गया है।
- (ब) पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युत् रोधी प्रतिरोधी का परीक्षण/सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।
- (स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत् नियम, 1956 एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।

(द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नकित द्वारा किया गया है।

वायरमैन का नाम-.....परमिट संख्या 34406..... वैधता की तिथि 24-8-2025

हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम-.....प्रमाण पत्र संख्या 13527.....
तिथि 24-8-2025.....
हस्ताक्षर

हस्ताक्षर..... 21/8/2023

विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम -

M/s VEE KAY & Co.
Near Dist. Hospital
Rafi Nagar-Rae Bareilly

लाइसेंस संख्या - RBL32

लाइसेंस श्रेणी -

वैधता की दिनांक - 31-8-2024

For VEE KAY & Co
ठेकेदार के हस्ताक्षर
Prop

घोषणा (उपभोक्ता द्वारा की जाय)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के संविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता LOA एम्पियर से अधिक नहीं है तथा संस्थापना में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा लोडिंग राज्य विद्युत राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।
दिनांक.....

✓
उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

परीक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरा जायेगा)

विद्युत रोधी प्रतिरोधी का परिणाम-

(1) फेज एवं अर्थ के बीच --	फेज-1 व अर्थ	फेज-2 व अर्थ	फेज-3 व अर्थ
(2) तार के बीच-	फेज-1 व अर्थ	फेज-2 व अर्थ	फेज-3 व अर्थ

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियां (यदि कोई हो) एवम् कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

दिनांक.....

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
पद नाम